न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : उत्तमा माथुर, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	:	42/2009
एफ.आई.आर. संख्या	:	26/2009
थाना	:	सांभरलेक
एनसीवी नंबर	:	97/2022

राजस्थान राज्य जरिए सहायक लोक अभियोजक

——परिवादी

बनाम

01. बंशीधर पुत्र श्री रघुनाथ, जाति बावरिया, निवासी घिनोई थाना कालाडेरा, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर। (मफरूर)

02. राजू उर्फ प्रकाश पुत्र श्री बंशीधर, जाति बावरिया, निवासी घिनोई थाना कालाडेरा, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

——अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान राज्य की ओर से।
2. श्री रतन चौधरी, अधिवक्ता अभियुक्त सं. 02 की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 31.01.2023**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 11.02.2009 को इस आशय की पेश की गयी कि परिवादी राकेश अग्रवाल मण्डी की गली सांभरलेक का रहने वाला है तथा पंचायत समिति की दुकानों में दुकान नं. 3 किराये पर ले रखी है उसमें किराना एवं मोबाईल रिचार्ज, बीडी, जर्दा, सिगरेट बेचने का धंधा करता है। दिनांक 08.02.2009 को समय प्रातः 07:30 पीएम पर अपना कार्य बंद कर घर चला गया था। दिनांक 09.02.2009 को सुबह दुकान

पर आया तो दुकान के शटर के ताले टूटे हुए मिले आधा शटर खुला हुआ मिला। सामान चैक करने पर निम्न सामान गायब मिला जो कोई चुरा ले गया, सामान निम्न प्रकार है– 700/–रूपये के टाटा के रिचार्ज 10/–रूपये वाले, 900/–रूपये के वोडाफोन रिचार्ज 10 व 20 रूपये वाले, 500/–रूपये के ऐयरटेल के रिचार्ज 10 रूपये वाले जिनके सी.नं. निम्न है 70450 से 70499, 200/–रूपये के गुटके, 1,300/–रूपये नकद, जिसमें रेजगारी व नोट गल्ले सहित, 500/–रूपये की सिगरेट व बीडी, 150/–रूपये के कपड़े जो उसी दिन घरेलू उपयोग पेंटशर्ट का पीस, कुल 4250/–रूपये। जब वह अपनी दुकान का कार्य करके सांय को घर जा रहा था तो बंशी पुत्र रघुनाथ बावरिया व उसका लड़का राजू उर्फ प्रकाश बावरिया निवासी घीनोई सामने रेल पटरियों पर बैठे थे। यह लोग श्यामी की ढाणी बावरिया लोगों में आते जाते हैं। वह इनको जानता है। उसकी चोरी इन दोनों ने ही की है.... इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2009 अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया और उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपर्युक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त सं. 2 को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया, समझाया गया, जिससे इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन साक्ष्य के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रामप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल, पी.डब्ल्यू. 03 रामनिवास, पी.डब्ल्यू. 04 श्रीपाल सिंह, पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली, पी.डब्ल्यू. 06 फूलचंद के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 मूल तहरीर रिपोर्ट, प्रदर्श पी–03 व पी–04 फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–05 व पी–06 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी–07 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–08 फर्द जब्ती आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

04. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त के अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. बयान मुलजिम लिये गये, जिसमें उन्होने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना

बताया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना जाहिर किया।

05. बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

06. दौराने बहस अन्तिम अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

07. वहीं अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि उन्हे झूंठा फंसाया गया है, गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। प्रकरण में अभियुक्त से कोई बरामदगी साबित नहीं की गई है। अतः इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

08. दोनो पक्षों के तर्कों को सुना गया। पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.02.2009 की मध्यरात्रि में किसी समय पंचायत समिति सांभरलेक की दुकान नं. 3 में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रि गृह भेदन किया, अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर पंचायत समिति सांभरलेक की दुकान नं. 3 में अपराध करने के आशय से अंदर रखे रिचार्ज के सामान, गुटखे, सिगरेट, बीडी के पेकेट व नकद रूपए व पेंट शर्ट के पीस निकालकर चोरी की नियत से चुराकर ले गए?

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है ?

09. पत्रावली का अवलोकन करने तथा दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन करने उपरान्त न्यायालय का विवेचन साक्ष्य के संदर्भ में इस प्रकार से है :–

इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाहान के बयान करवाए गए है, जिनमें से अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 रामप्रकाश ने प्रदर्श पी–01 मूल तहरीर रिपोर्ट की ताईद करते हुए साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.02.2009 को वह पुलिस थाना सांभरलेक में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन राकेश अग्रवाल निवासी बड़ा बाजार सांभरलेक में एफआईआर बाबत् तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श

पी–01 उसके समक्ष पेश की थी। जिस पर उसने 380 भा.दं.सं. में मुकदमा नं. 26/09 दर्ज किया था व अनुसंधान घनश्याम सिंह एसआई को सुपुर्द किया था। जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस है एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 25.02.2009 को अनुसंधान अधिकारी ने बंशीधर व राजू उर्फ प्रकाश पुत्र बंशीधर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 380, 457 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित कर पत्रावली वास्ते चार्जशीट उसे सुपुर्द की थी। जिस पर उसके द्वारा चालान उपरोक्तानुसार न्यायालय में पेश किया था। चार्जाशीट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि उसके द्वारा इस पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–03 उसके समक्ष घटना के तीन दिन बाद में दर्ज करवाई हो।

गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल ने साक्ष्य दी है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–03 व पी–04 ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो पुलिस ने उसके सामने नहीं बनाई। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–05 व पी–06 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त समस्त फर्द उसके सामने नहीं बनाई। यह गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वर्ष 2009 में राकेश अग्रवाल के चोरी हुई जिसके बाबत् गवाह ने फर्दात प्रदर्श पी–03 लगायत पी–06 पर पढकर हस्ताक्षर किए हो।

गवाह पी.डब्ल्यू. 03 रामनिवासी ने साक्ष्य दी है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–07 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी–08 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने कोई नक्शा नहीं बनाया, न ही कोई ताले उसके सामने जब्त किए। यह गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि चोरी के संबंध में उक्त फर्दात बनाने के बाद उसने हस्ताक्षर किए हो।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने पर खाली कागजों पर कराए थे। उनमें क्या लिखा गवाह को पता नहीं।

गवाह पी.डब्ल्यू. 04 श्रीपाल सिंह ने साक्ष्य दी है कि वर्ष 2009 में वह थाना सांभर में एएसआई के पद पर था। मु. सं. 26/09 की तफ्तीश घनश्याम सिंह द्व ारा पूर्ण कर उसके समक्ष पेश की। उसने चार्जशीट न्यायालय में पेश की जिस पर

सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

गवाह पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली साक्ष्य दी है कि वर्ष 2009 में पंचायत समिति सांभरलेक में उसकी टायर ट्यूब की दुकान थी। सुबह जब वह लोग आए थे तब राकेश ने बताया कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए थे। उसकी दुकान से रात्रि को किसी ने चोरी कर ली जिसमें उसके मोबाईल रिचार्ज कूपन वगैरह चोरी हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–07 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने ताले जब्त किए थे या नहीं उसे याद नहीं है। पुलिस ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–08 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर कराए थे। यह गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि पुलिस ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–08 बनाने के बाद पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाए थे।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि उसने मुल्जिमान को ताले तोड़ते हुए नहीं देखा। उसे आज याद नहीं कि पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवाए थे या नहीं।

गवाह पी.डब्ल्यू. 06 फूलचंद ने प्रदर्श पी–03 व पी–04 फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी–05 व पी–06 फर्द जब्ती की ताईद करते हुए साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 11.02.2009 को थाना सांभरलेक में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन मुल्जिम बंशीधर, राजू उर्फ प्रकाश को एसआई घनश्याम ने प्रकरण संख्या 26/09 में गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 3 व पी 4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 12.02.2009 को राजू उर्फ प्रकाश से एयरटेल रिचार्ज के कूपन, वोडाफोन रिचार्ज के कूपन मुकदमा हाजा में जब्त किये थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 बनायी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा मुल्जिम बंशीधर से दिनांक 11.02.2009 को टाटा एयरटेल के रिचार्ज के कूपन जब्त किये थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 बनायी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वह माल व मुल्जिम को पहचानता है।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि मुल्जिमान को थाने से ही गिरफतार किया था। उसे आज काफी समय हो जाने के कारण याद नही है कि फर्द जब्ती

थाने पर करवायी या नहीं। फर्द जब्ती आई ओ साहब ने बनायी थी उसके सामने बनायी थी व उससे हस्ताक्षर करवाये थे। उसे मुल्जिमान के साथ घटनास्थल पर लेकर नहीं गये थे। उसे आज इतना याद नहीं है कि मुल्जिमान को गिरफतार किया तब वो थाने पर थे या गिरफतार करके आइओ साहब लेकर आये थे। पहले फर्द गिरफतारी बनायी थी बाद मे फर्द जब्ती बनायी थी।

10. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत रूप से विवेचना की जाए तो अभिलेख पर यह स्थिति स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये हैं जिनमें से ज्यादातर गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल, पी.डब्ल्यू. 03 रामनिवास, पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने फर्दात अपने सामने नहीं बनाने और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली ने कथन किए कि पुलिस ने ताले जब्त किये थे या नहीं उसे याद नहीं और अपनी जिरह में मुल्जिमान को ताले तोड़ते हुए नहीं देखने के कथन करके आया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में परिवादी राकेश अग्रवाल साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 04 श्रीपाल सिंह द्वारा प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान नहीं करना अभिकथित किया है और अनुसंधान एएसआई घ ानश्याम द्वारा किया जाना बताया है किंतु गवाह घनश्याम न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। न्यायालय के विनम्र मत में चोरी जैसे अपराध के लिए चोरीशुदा माल की बरामदगी प्रकरण में साबित होना आवश्यक है जो हस्तगत प्रकरण में पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण का परिवादी भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण में अधिकांश महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही साबित हुए हैं और शेष साक्ष्य जो अभिलेख पर मौजूद है वह अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है। मुल्जिम लंबे समय से अनवीक्षा भी भुगत रहा है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उपर्युक्त समस्त अभिवेचन के आधार पर मुल्जिम राजू उर्फ प्रकाश को दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

11. निष्कर्षतः अभियुक्त राजू उर्फ प्रकाश पुत्र श्री बंशीधर, जाति बावरिया, निवासी घिनोई थाना कालाडेरा, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में पर्याप्त व सुदृढ़ साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के उपस्थिती बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

प्रत्येक अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त धारा 437 ए दं0प्र0सं0 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने हेतु 10,000/– रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका पेश करें, उक्त जमानत मुचलके 6 माह बाद स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(उत्तमा माथुर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उत्तमा माथुर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर